



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 87 राँची, गुरुवार,

3 मार्च, 2022 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

संकल्प

3 मार्च, 2022

विषय:- वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए मेसर्स HCL Training and Staffing Services Pvt. Ltd. के द्वारा Placement Linked Skill Training के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में ।

संख्या-5/नि.नि./ई.एम.आई.-4002/2021-172(नि.),--राज्य सरकार, राज्य में बेरोजगारी के समस्या के समाधान के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित एवं वचनबद्ध है। इसे दृष्टिगत रखते हुए मेसर्स HCL Training and Staffing Services Pvt. Ltd. के द्वारा Placement Linked Skill Training के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण एवं मेसर्स HCL Training and Staffing Services Pvt. Ltd. के बीच Memorandum of Understanding किया गया है ।

2. (i) MoU के मुख्य बिन्दुएं निम्नवत हैं:-

- ❖ राँची में मॉडल कैरियर सेन्टर (MCC) में परामर्श-सह-परीक्षण केन्द्र उपलब्धता।
- ❖ धनबाद, जमशेदपुर, पलामू एवं दुमका में मॉडल कैरियर सेन्टर (MCC) में परामर्श-सह-परीक्षण केन्द्र की बाद में उपलब्धता ।
- ❖ उम्मीदवारों की काउंसलिंग और मूल्यांकन (परीक्षण) ।
- ❖ HCL Tech Bee कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देना (विभाग और HCL Training and Staffing Services Pvt. Ltd. द्वारा संयुक्त रूप से) ।
- ❖ यह MoU के तिथि से एक साल के लिए प्रभावी रहेगा। विभाग एवं एजेंसी के बीच आपसी सहमति के उपरान्त इसे विस्तारित किया जा सकता है ।
- ❖ HCL Training and Staffing Services Pvt. Ltd. के द्वारा एक वर्ष प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें उनके द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा, जिसका विस्तृत रूप-रेखा MoU में सन्निहित है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थी HCL Training and Staffing Services Pvt. Ltd. के पूर्णकालीन कर्मी होंगे ।
- ❖ वित्तीय व्यवस्था विभाग और HCL Training and Staffing Services Pvt. Ltd. के बीच परिकल्पित साझेदारी के रूप में Assignment में कोई प्रत्यक्ष लागत शामिल नहीं होगा ।

3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-10.02.2022 की बैठक में मद संख्या-56 में दी गई है ।
4. यह संकल्प निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
